R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 12 ♦ जून 2018

केंद्रीय कार्यालय विभाग

दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018–19

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति ने 6 जून 2018 की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत किया जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 6.0 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.50 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी।

एमपीसी का निर्णय मौद्रिक नीति के तटस्थ रुझान के अनुरूप है। इसका तारतम्य, वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +2/–2 प्रतिशत के दायरे में रखने के उद्देश्य से भी है।

विकासात्मक एवं विनियामकीय नीति उपाय

विनियमन एवं पर्यवेक्षण

- न्यूनतम चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना करने के उद्देश्य से, बैंकों के पास उपलब्ध एसएलआर में से कुल आय उनके एनडीटीएल का 13 प्रतिशत होगी।
- व्यापारिक राज्य सरकार प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उस कीमत पर होगा जिस मूल्य पर बाजार में उनका कारोबार हुआ है। गैर–व्यापारिक राज्य सरकार प्रतिभूतियों के मामले में, मूल्यांकन समकक्ष परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल पर राज्य विशिष्ट भारित औसत पर आधारित होगा, जैसा कि प्रथम नीलामी में पाया गया था।
- सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में निरंतर वृद्धि तथा कई बैंकों के लिए आईएफआर बनाने के लिए समय की अपर्याप्तता के मद्देनजर, बैंकों को 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही से प्रारम्भ होने वाली चारों तिमाहियों की अवधि के लिए समान रूप से 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) तथा व्यापार हेतु रखे गए (एचएफटी) में हुए निवेश पर मार्क–टू–मार्केट (एमटीएम) हानि का प्रसार करने का विकल्प दिया जाएगा।
- निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के रूप में स्वैच्छिक आधार पर परिवर्तन की अनुमति दी जाए।
- सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम क्षेत्र को नियमनिष्ठ बनाने को प्रोत्साहन देने के लिए बैंकों तथा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में पंजीकरण न किए गए सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित सभी एमएसएमई, जिन्हें ₹ 250 मिलियन की समग्र सीमा के अंतर्गत क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, को 180 दिनों के पूर्व देय मानदंडों के आधार पर, कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन, अपने एक्स्पोज़रों को वर्गीकृत करने हेतु अस्थायी रूप से अनुमति दी जाए।
- प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबंधी दिशा–निर्देशों को आवास ऋण हेतु किफायती आवास योजना तहत अधिकतम परिवर्तित करने के उद्देश्य से तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निचले आय समूहों के लिए कम लागत वाले आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) में आवास ऋणों की पात्रता सीमाओं में वृद्धि की गई।
- यह देखते हुए कि एनपीए का स्तर ₹ 2 लाख तक के टिकट आकार के लिए तेजी से बढ़ रहा है बैंकों को सूचित किया गया है कि विशेष रूप से आवास क्षेत्र को उधार देने के संबंध में अपनी स्क्रीनिंग और अनुवर्ती जांच–पड़ताल को मजबूत करें।
- रिजर्व बैंक के साथ गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) को बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट) विनियमावली, 2014 में यथा–विनिर्दिष्ट राशि और अवधि के अनुसार प्रायोजकों के रूप में निवेश की अनुमति होगी।

श्री महेश कुमार जैन आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए

श्री महेश कुमार जैन ने 22 जून 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। भारत सरकार ने उन्हें 4 जून 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के उप–गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि या अगला आदेश जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया है। श्री जैन उप गवर्नर के रूप में नियुक्ती से पहले आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ थे।

उप गवर्नर के रूप में,श्री जैन बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग,गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग,केंद्रीय सुरक्षा कक्ष,दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली सहित कॉर्पोरेट सेवा विभाग,राजभाषा विभाग,उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग,वित्तीय समावेशन और विकास विभाग और परिसर विभाग का कार्यभार संभालेगें।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=44286)

वित्तीय बाजार

- अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) हेयरकट को समरूप बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि 1 अगस्त, 2018 से शुरू करते हुए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (टी-बिल सहित) और राज्य विकास ऋणों पर (एसडीएल) पर उसकी अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर संपार्श्विक पर प्रारंभिक मार्जिन रखा जाए।
- सरकारी प्रतिभूति बाजार (जी-सेक) में भागीदारी में वृद्धि और व्हेन इश्यूड (डब्ल्यूआई) के माध्यम से भागीदारी में वृद्धि के उद्देश्य से प्रतिभागियों के आधार को उदार बनाने के साथ-साथ जी-सेक में छोटी बिक्री के लिए इकाई-वार और सुरक्षा श्रेणीवार सीमाओं में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
- अपने एफपीआई ग्राहकों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए एकल आधार प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को एक सीमित विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय बाजारों में गतिविधि और भागीदारी को बढ़ाने और बैंकिंग प्रणाली के वित्तीय जोखिम को पुनर्वितरित करने के लिए, रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित बाजारों में दुरुपयोग को रोकने के लिए सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप नियमों को लाने का प्रस्ताव है।
- रिजर्व बैंक विदेशी सीसीपी की मान्यता के लिए ढांचे को तैयार करेगा और साथ ही सभी सीसीपी के लिए पूंजी आवश्यकता और अभिशासन ढांचे को भी तैयार करेगा, ताकि ये संस्थाएं एक कुशल और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

ऋण प्रबंधन

- राज्य सरकारों द्वारा इन निधियों के पर्याप्त रखरखाव को और प्रोत्साहित करने तथा इन निधियों के कॉर्पस को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु, यह निर्णय लिया गया है कि एसडीएफ पर ब्याज की दर को कम करके उसे रेपो दर से 100 आधार अंक नीचे के बजाए रेपो दर से 200 आधार अंक नीचे कर दिया जाए।

भुगतान और निपटान

- वित्तीय स्थिरता के परिप्रेक्ष्य में खुदरा भुगतान प्रणाली में संकेंद्रण जोखिम को कम के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक इस क्षेत्र में नवोन्मेष और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर भुगतान प्लेटफार्मों में भाग लेने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए अधिक भागीदारों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रहा है।

मुद्रा प्रबंधन

- भारतीय बैंक नोटों के साथ दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा अपने दैनिक व्यवसाय को संचालित करने में जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, रिज़र्व बैंक उसके प्रति संवेदनशील है।अत: यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक, दृष्टिहीनों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न संस्थाओं के परामर्श से, दृष्टिहीनों के लिए भारतीय बैंकनोटों की पहचान में सहायक एक उपयुक्त उपकरण या तंत्र विकसित करने की व्यवहार्यता का पता लगाएगा।

अन्य उपाय

- सूचना विषमता के समाधान, क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में क्रेडिट संस्कृति को मजबूत करने से संबंधित मुद्दों के निपटारे हेतु ,भारत के लिए पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) पर एक उच्चस्तरीय कार्यदल (अध्यक्ष: श्री यशवंत एम. देवस्थले) की सिफारिशों के अनुसार पीसीआर की स्थापना के लिए आगामी कदम के रूप में लॉजिस्टिक एवं डिजाइन में सहायता करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक कार्यान्वयन टास्क फोर्स (आईटीएफ) का गठन किया जा रहा है।
- यह निर्णय लिया गया है कि अधिकृत डीलर (एडी) बैंकों द्वारा उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत जाने वाले सभी विप्रेषणों के लिए पैन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया जाए, जिसे अब तक 25,000 अमेरिकी डॉलर तक के अनुमत चालू खाता लेनदेन पर प्रस्तुत करने हेतु ज़ोर नहीं दिया जाता था। इसके अतिरिक्त, करीबी रिश्तेदारों के निर्वाह के लिए एलआरएस के तहत अनुमोदित विप्रेषण के संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि 'रिश्तेदार' की परिभाषा को कंपनी अधिनियम, 1956 के बजाय कंपनी अधिनियम, 2013 में दी गई परिभाषा के साथ संरेखित किया जाए।

बैंकिंग विनियमन

एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक बनाने को प्रोत्साहन देना

रिज़र्व बैंक ने 6 जून 2018 को यह निर्णय लिया है कि बैंकों और एनबीएफ़सी को कुछ शर्तों के अधीन जीएसटी के तहत पंजीकृत न किए गए एमएसएमई सहित सभी एमएसएमई के प्रति उनके एक्सपोजर को, देय तिथि के 180 दिन बाद के मापदंड के अनुसार, ''मानक आस्ति'' के रूप में वर्गीकृत करने की अस्थाई अनुमति दी जाए, जिनका कुल एक्सपोजर 31 मई 2018 की स्थिति के अनुसार 250 मिलियन से अधिक नहीं है।

वह अवधि जिसके बीच कोई भुगतान देय है	अनुमेय समय
1 सितंबर 2017 - 31 दिसंबर 2018	180 दिन
1 जनवरी 2019 - 28 फरवरी 2019	150 दिन
1 मार्च 2019 - 30 अप्रैल 2019	120 दिन
1 मई 2019 और आगे	90 दिन

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11289Mode=0)

एमटीएम हानि का विभाजन (स्प्रेडिंग) और निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफ़आर) का सृजन

सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में निरंतर वृद्धि, साथ ही कई बैंकों के लिए निवेश अस्थिरता रिजर्व (आईएफआर) बनाने के लिए समय की अपर्याप्तता को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 15 जून 2018 को यह निर्णय लिया है कि बैंकों को एएफएस और एचएफटी में धारित सभी निवेशों पर मार्क टू मार्केट हानि के लिए प्रावधान विभाजित (स्प्रेड) करने का विकल्प 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही के लिए भी दिया जाए। अपेक्षित प्रावधानीकरण को 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही से शुरू कर आगामी चार तिमाहियों तक समान रूप से विभाजित किया जा सकता है।

उपर्युक्त विकल्प का उपयोग करने वाले बैंक (i) जून 2018 को समाप्त तिमाही के लिए निवेश पोर्टफोलियो में मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान और (ii) बाकी तिमाहियों में किए जाने के लिए अपेक्षित शेष का विवरण देते हुए लेखा पर टिप्पणी/ त्रैमासिक परिणामों में उचित प्रकटीकरण करें। (https://www.rbi.org.in/Scripts/ NotificationUser.aspx?Id=11304Mode=0)

ब्याज का भुगतान परिचालनात्मक दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 के संबंध में ब्याज दर की समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि बैंकों द्वारा इस निधि में अंतरित अदावा ब्याज वाली जमाराशि पर जमाकर्ताओं/दावाकर्ताओं को देय ब्याज दर 1 जुलाई 2018 से 3.5 प्रतिशत साधारण ब्याज प्रतिवर्ष होगी। बैंकों को 1 जुलाई या इससे बाद प्राप्त सभी दावों का निपटान इस दर पर होगा जब तक अगला नोटिस नहीं आ जाए। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11294Mode=0)

चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 15 जून 2018 को बैंकों को अनुमति दी कि वे अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के अंदर चलनिधि कवरेज़ अनुपात (एफएएलएलसीआर) के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा के अंतर्गत अपनी एनडीटीएल के अन्य दो प्रतिशत तक धारित सरकारी प्रतिभूतियों को अपनी एलसीआर की गणना के प्रयोजन से स्तर 1 उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में गिनें। इस प्रकार, एसएलआर में से एफएएलएलसीआर के अंतर्गत कुल निकासी (कार्व आउट) अब 11 प्रतिशत होगी, जिससे बैंकों को उपलब्ध एसएलआर में कार्व आउट उनके एनडीटीएल का 13 प्रतिशत हो जाएगा। एलसीआर के इस प्रयोजन से बैंकों को एचक्यूएलए के रूप में मान्यता प्राप्त ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण ऐसी राशि पर करना जारी रखना चाहिए, जो उनके वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक न हो (प्रतिभूति को धारण करने की श्रेणी, अर्थात् एचटीएम, एएफएस या एचएफटी को ध्यान में न रखते हुए)। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11305Mode=0)

बैंकिंग पर्यवेक्षण

एटीएमों के लिए नियंत्रण उपाय अनुपालन हेतु समयसीमा

परिचालन प्रणाली के असमर्थित वर्शन पर परिचालित एटीएमों के संबंध में होने वाले मुद्दों के समाधान करने के लिए और समयबद्ध तरीके में अन्य सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन नहीं होने की स्थिति में, रिज़र्व बैंक ने 21 जून 2018 को बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों को सूचित किया है कि वे इस संबंध में तुरंत कार्रवाई शुरू करें और इंगित निर्धारित समयसीमाओं के अनुसार कतिपय नियंत्रण उपाय शुरू करें।

इन उपायों के कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित कार्य योजना के साथ इस परिपत्र की प्रति निदेशक बोर्ड को उनकी आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए। उपर्युक्त नियंत्रण उपायों के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन / कार्य योजना की एक प्रति 31 जुलाई, 2018 तक अनिवार्य रूप से हमें भेज दें। इन उपायों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए ताकि निर्धारित समय सीमा का पालन किया जा सके। पूर्ववर्ती नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के लिए एटीएम के फील्ड विज़िट की भी आवश्यकता होगी, अतः बैंकों को इन उपायों को योजनाबद्ध तथा सुगम तरीके से कार्यान्वित करना चाहिए। यह नोट किया जाए कि इस परिपत्र में निहित निर्देशों का समय पर और प्रभावी अनुपालन नहीं किए जाने पर, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और / अथवा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत लागू प्रावधानों के अधीन उचित पर्यवेक्षी प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11311Mode=0)

वित्तीय समावेशन और विकास

ब्याज छूट योजना जारी रखना

रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से 7 जून 2018 को सूचित किया है कि उन्होंने ब्याज छूट योजना (आईएसएस) 2018-19 जारी रखने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जैसाकि भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया है, अंतरिम उपाय के रूप में ब्याज सबवेंशन योजना को अगले अनुदेश प्राप्त होने तक, वर्ष 2017-18 में योजना हेतु अनुमोदित नियम एवं शर्तों पर 2018-19 में लागू किया जाएगा। अतः सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इसे नोट करें तथा वर्ष 2018-19 हेतु ब्याज छूट (सबवेंशन) योजना को तदनुसार लागू करें।

इसके अलावा, जैसा कि भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया है, वर्ष 2018-19 से आईएसएस को 'इन काइंड/सर्विसेस' के आधार पर न कि 'इन कैश' आधार पर डीबीटी मोड पर रखा जाएगा तथा वर्ष 2018-19 में प्रसंस्कृत सभी ऋणों को आईएसएस पोर्टल / डीबीटी मंच, आरंभ होने के उपरांत, पर लाया जाना आवश्यक होगा।

ब्याज सबवेंशन योजना में योजनाओं के 'प्लान-नॉन प्लान' वर्गीकरण को हटा दिया जाएगा। तदनुसार, ब्याज सबवेंशन योजना 2018-19 को प्लान योजना अर्थात अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) इत्यादि के रूप में निश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, बैंकों से अपेक्षित है कि वे योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के श्रेणीवार आंकड़े (सामान्य, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)-सामान्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)-एससी, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)-एसटी) प्राप्त करें ताकि अलग-अलग किसान के डेटा को आईएसएस पोर्टल पर रखा जा सके एवं वर्ष 2018-19 से उत्पन्न होने वाले दावों का निपटारा किया जा सके। जब तक डीबीटी पोर्टल क्रियाशील नहीं हो जाता है, बैंकों से अनुरोध है कि वे उक्त निर्दिष्ट किए गए अनुसार अपने दावों को श्रेणीवार रूप में प्रस्तुत करें।

रिज़र्व बैंक सरकार के साथ परामर्श करके ऋण वर्गीकरण के संबंध में विस्तृत तौर-तरीकों पर कार्य कर रहा है। जब तक तौर-तरीकों को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता, बैंक स्व-घोषणा के आधार पर श्रेणीवार डेटा प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि, प्रत्येक श्रेणी के तहत दिए जाने वाले ऋणों पर कोई उच्चतम सीमा नहीं होनी चाहिए। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11293Mode=0)

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार लक्ष्य और वर्गीकरण

किफायती आवास योजना के साथ आवास ऋण के लिए 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार' संबंधी दिशानिर्देशों में अभिरूपता लाने तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं कम आय वाले समूहों के लिए कम लागत वाले आवास को साकार करने हेतु, रिज़र्व बैंक ने 19 जून 2018 को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत पात्रता के लिए आवास ऋण सीमा को महानगरीय केंद्रों (दस लाख और उससे अधिक की आबादी वाले) में 35 लाख और अन्य केंद्रों में 25 लाख रूपए के रूप में संशोधित कर दिया, बशर्ते निवासी यूनिट की समग्र लागत महानगरीय केंद्रों और अन्य केंद्रों में क्रमशः 45 लाख और 30 लाख से अधिक न हो।

इसके अतिरिक्त, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) और निम्न आय समूह (एलआईजी) के लोगों के लिए मकान बनवाने के प्रयोजन संबंधी आवास परियोजनाओं हेतु मौजूदा पारिवारिक आय सीमा वार्षिक ₹ 2 लाख को प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत निर्दिष्ट आय मानदंडों के साथ सरेखित करते हुए उसे ईडब्लूएस के लिए ₹ 3 लाख प्रति वर्ष और एलआईजी के लिए ₹ 6 लाख प्रति वर्ष के रूप में संशोधित किया गया है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11308Mode=0

वित्तीय बाजार परिचालन

एलएएफ और एमएसएफ के अंतर्गत मार्जिन आवश्यकताओं की समीक्षा

6 जून 2018 को रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया कि संपार्श्विक की अवशिष्ट परिपक्वता, अर्थात ट्रेजरी बिल, केंद्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों (तेल बांड सहित) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के आधार पर मार्जिन आवश्यकता निर्धारित की जाए। इसके अलावा, यह भी तय किया गया है कि रेटेड एसडीएल के लिए मार्जिन आवश्यकताएं उसी परिपक्वता बकेट के लिए अप्रयुक्त एसडीएल की तुलना में 1 प्रतिशत कम होगी। संशोधित मार्जिन आवश्यकताओं को 1 अगस्त 2018 से प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। वर्तमान एलएएफ (रेपो) और एमएसएफ योजनाओं के सभी अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित बनी रहेंगी। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser. aspx?Id=11291Mode=0)

वित्तीय बाजार विनियमन

भारत में ब्याज दर विकल्प

14 जून 2018 को रिज़र्व बैंक ने रुपये में ब्याज दर स्वैप की अनुमति दी ताकि बाजार प्रतिभागियों के लिए बेहतर समय लचीलापन प्रदान किया जा सके ताकि वे अपने ब्याज दर के जोखिम के लिए हेज़ की मांग कर सकें। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11302Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंध

ईसीबी की मासिक रिपोर्टिंग

7 जून 2018 को रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि ईसीबी–2 विवरणी के सरलीकृत फ़ार्मेट के माध्यम से ईसीबी के लिए हेजेस के ब्यौरे प्राप्त किए जाएं। इसके अलावा स्वाभाविक हेज के संबंध में रिपोर्टिंग के लिए निहित प्रावधानों का पालन किया जाए। ईसीबी 2 विवरणी का संशोधित मासिक रिपोर्टिंग फ़ार्मेट जून–2018 के अंत से लागू होगा। इस बात को दोहराया जाता है कि इस विवरणी के माध्यम से रिपोर्ट करते समय कोई चूक तथा/अथवा उसकी प्रस्तुति की निर्धारित अवधि का पालन नहीं करने तथा / अथवा फॉर्म 83 के माध्यम से रिपोर्टिंग के समय किसी प्रकार की चूक करने को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11296Mode=0)

एलआरएस के अंतर्गत आंकड़ों तथा परिभाषाओं को सुचारु बनाना

करीबी रिश्तेदारों के निर्वाह के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत अनुमत विप्रेषणों के संदर्भ में, 19 जून 2018 को रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि 'रिश्तेदार' की परिभाषा को कंपनी अधिनियम, 1956 की बजाय कंपनी अधिनियम, 2013 में दी गई परिभाषा के साथ सरेखित किया जाए।

वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत किए जाने वाले सभी विप्रेषणों के लिए स्थायी पहचान संख्या (पीएएन) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया जाए, जिसे अब तक 25,000 अमेरिकी डॉलर तक के अनुमत चालू खाता लेनदेनों पर प्रस्तुत करने हेतु ज़ोर नहीं दिया जाता था। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11309Mode=0)

गैर–बैंकिंग विनियमन

प्रायोजक सीआईसी–एनडीएसआई द्वारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) के युनिट में निवेश

प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी–एनडी–एसआई) को इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (Invit) के प्रायोजक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम करने हेतु, रिजर्व बैंक ने 7 जून 2018 को सीआईसी–एनडी–एसआई को केवल प्रायोजक के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट के युनिटों को रखने की अनुमति दी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए ऐसे सीआईसी का एक्सपोजर प्रायोजकों के रूप में उनके होल्डिंग तक ही सीमित होगा और किसी भी समय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट) विनियमन, 2014 द्वारा इस संबंध में निर्धारित युनिटों और कार्यकाल के न्यूनतम होल्डिंग से अधिक नहीं होगा । इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट युनिटों की उपरोक्त होल्डिंग्स को मानदंडों के अनुपालन के उद्देश्य से, समूह कंपनियों में इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में माना जाएगा। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11292Mode=0)

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

एजेंसी बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा

21 जून 2018 को रिज़र्व बैंक ने, पेंशन वितरित कर रहे सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया है कि वे पेंशनभोगी, विशेष रूप से जो वृद्ध हो गए हैं, को वे उचित और सहानुभूतिपूर्ण ग्राहक सेवा उपलब्ध कराएं।

रिज़र्व बैंक को कई जगहों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जब पेंशनभोगी, विशेष रूप से वृद्ध पेंशनभोगी, पेंशन से संबंधित लेनदेन के लिए शाखाओं में आते हैं तो, बैंक अधिकारियों द्वारा उनके प्रति उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11310Mode=0)

आरबीआई कहता है

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक देयता पर फिल्म

रिजर्व बैंक की जन जागरूकता पहल के एक हिस्से के रूप में, फीफा विश्व कप मैचों के दौरान सोनी टेन पर वीडियो स्पॉट प्रसारित किए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बैंक खाते में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के मामले में किसी भी नुकसान से कैसे बचा जाए। 'अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक देयता' पर फिल्म धींढींलिश चैनल (https://youtu. be/3XtvBgWyCCI) और आरबीआई वेबसाइट (www. rbi.org.in) पर उपलब्ध है। परिणाम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, रिजर्व बैंक ने देश भर में प्रिंट मीडिया में 'सीमित देयता' पर भी एक विज्ञापन जारी किया है।

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।